दिनांक- 04.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 490/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 04.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 04.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 491/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में गठित टीम के उ0नि0 ज्योतिन्द्रनाथ शुक्ला मय हमराह रि0का0 प्रिन्स विश्वकर्मा द्वारा दिनांक 03.08.2026 को 01 नफर वारंटी अभियुक्त धरम पुत्र स्व0 मनप्यारे, निवासी ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को वाद संख्या 53/2026 धारा 383 बीएनएसएस से संबंधित वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 ज्योतिन्द्रनाथ शुक्ला थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

2.रि0का0 प्रिन्स विश्वकर्मा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

धरम पुत्र स्व0 मनप्यारे निवासी ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 04.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 494/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.08.2026 को थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह रि0कां0 मुकेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त ईश्वरदास पुत्र कालीचरन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड "झूम" नाजायज बरामद की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 166/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

ईश्वरदास पुत्र कालीचरन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा

2.रि0का0 मुकेश यादव

दिनांक- 04.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 495/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक-03.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0कां0 राजाराम पाल, हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, रि0कां0 चन्द्रसेन व रि0कां0 रविन्द्र सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान ग्राम टोलासोयम के पास रुपये पैसो से हार जीत की बाजी लगाकर ताश पत्तो से जुंआ खेलते हुये 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राम सिंह पुत्र मुरलीधर अहिरवार 2.खेमचन्द्र पुत्र सुखदेव अहिरवार 3.नन्दराम पुत्र शिवप्रसाद अहिरवार निवासीगण ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 1350 रु0, जामा तलाशी 270 रु0 व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/26 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. राम सिंह पुत्र मुरलीधर अहिरवार निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा
2. खेमचन्द्र पुत्र सुखदेव अहिरवार निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा
3. नन्दराम पुत्र शिवप्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा

2.हे0कां0 राजाराम पाल

3.हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

4.रि0कां0 चन्द्रसेन

5.रि0कां0 रविन्द्र सरोज